न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

वाद सं :: 48/2024
जीसीएमएस सं0 2024/87

1. कन्हैयालाल पुत्र रामकुमार उम्र 46 साल जाति नायक नि0 उदयलाल की ढाणी वा0नं0 3 राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर।
2. श्योपाल बलाई पुत्र हनुमानाराम बलाई उम्र 58 वर्ष जाति बलाई नि0 ग्राम गोरियां तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।

वादी सं0 1 व 2 जरिये मुख्तयार आम –महेश कुमार यादव पुत्र श्री प्रभूदयाल यादव उम्र 43 वर्ष जाति यादव नि0 राणोली तहसील दांतारामगढ़,सीकर।

– वादीगण,

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र सन्तसिंह जाति मतहबी नि0 55 बीसीडीआर सुरेवाला तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. जयराम पुत्र रूघाराम
3. देबूराम पुत्र रूघाराम
4. बनवारी पुत्र रूघाराम
5. मन्नी दोहित्री गणपत
6. संतोष पुत्री रूघाराम

(क्रम 2 से 6) । समस्त जाति रैगर नि0 ग्राम शिश्यू तह0 दांतारामगढ़,जिला सीकर।

7. उप पंजीयक, पलसाना।
8. तहसीलदार, दांतारामगढ़।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– . 1.श्री हरफूल सिंह खीचड़,वकील वादीगण की ओर से।
2. „ नरेश कुमार, प्रति0सं0 1 की ओर से।

दावा बाबत बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

निर्णय

दिनांक :: 12.12.24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां ख0नं0 2480/3423 रकबा 0.50 है0 ख0नं0 2482/3424 रकबा 0.03 है0 ख0नं0 2590 रकबा 0.38 है0 ख0नं0 2596 रकबा 2.97 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.88 है0 ग्राम शिश्यू प0ह0 शिश्यू भू0अ0नि0 रानोली तहसील दांतारामगढ़, सीकर की तन में अवस्थित है। वर्णित भूमियों में वादी सं0 1 का हिस्सा 203/864, वादी सं0 2 का हिस्सा 1433/4320 तथा शेष हिस्सा प्रति0सं0

Scanned with CamScanner

1 ता 6 का है। वादीगण एंव प्रति0सं0 1 ता 6 मौके पर अपने–अपने हक हिस्से के अनुसार काबिज होकर अंदाज से अलग–अलग काश्त करते चले आ रहे है। विवादित भूमि का पक्षकारों के मध्य आज तक विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित भूमियों की संयुक्त खातेदारी होने के कारण वादीगण को विवादित भूमियों के बाबत राज्य सरकार से मिलने वाली सरकारी सहायता राशि प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा पक्षकारान में आपस में मनमुटाव बना रहता है। इस कारण वादी एंव प्रति0सं0 1 ता 6 के मध्य विवादित भूमियों का बाई मिट्स एंड बाउण्डस विधिवत रूप से बंटवारा किया जाकर अलग खाता, कब्जा काश्त व लगान निर्धारित किया जाना उचित एंव आवश्यक है। वादीगण द्वारा प्रति0सं0 1 ता 6 को बंटवारा करवा लेने हेतु कई बार निवेदन किया गया। इस पर वे इंकार हो गये। वादीगण द्वारा वाद पत्र पेश कर मद सं0 11 की उप मद क,ख, ग एंव घ अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 की ओर से वकील नरेश कुमार उपस्थित आए तथा प्रति0सं0 2 लगायत 6 बाबजूद जरिये अखबार तामील उपस्थित नहीं आए तथा प्रति0सं0 7 व 8 साधारण तामील के उपस्थित नहीं आने पर प्रति0सं0 2 ता 8 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। वकील उभय पक्ष के निवेदन पर प्रकरण में दिनांक 30.09.24 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़, सीकर ने जरिये पत्रांक भू0अ0/2024/6060 दिनांक 18.11.24 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये है। वकील उभय पक्ष ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया तथा आर्डरशीट पर नोटेड हुए।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ पत्रांक भू0अ0/24/6060 दिनांक 18.11.24 का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमियां संयुक्त खातेदारी की भूमिया है तथा वादीगण एंव प्रति0सं0 1 ता 6 मौके पर अपने हक हिस्से के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। विवादित भूमियों का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है तथा तहसीलदार,दांतारामगढ़ द्वारा जरिये पत्रांक भू0अ0/2024/6060 दिनांक 18.11.24 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये है, जिसपर वकील उभय पक्ष ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार, दांतारामगढ़ के अनुसार फाईनल डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक भू0अ0/2024/6060 दिनांक 18.11.24 फाईनल डिक्री का पार्ट रहेगा। आराजी कृषि भूमियां ख0नं0 2480/3423 रकबा 0.50 है0 ख0नं0 2482/3424 रकबा 0.03 है0 ख0नं0 2590 रकबा 0.38 है0 ख0नं0 2596 रकबा 2.97 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.88 है0 ग्राम शिश्यू प0ह0 शिश्यू भू0अ0नि0 रानोली तहसील दांतारामगढ़, सीकर स्थित भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

Kchary

उपखण्ड अधिकारी (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	मन्नी दोहित्री गणपत जाति रैगर सा0देह	2480 / 3423 / 1 2482 / 3424	0.0306 0.0300	बा.1 बा.1	
		2	0.0606	बा.1	
2.	जयराम, देबूराम,बनवारी पुत्र रूघाराम, संतोष पुत्री रूघाराम, लाडा देवी पत्नि रूघाराम हि.ब. जाति रैगर सा. देह	4293 / 2596 / 1	0.3030	बा.1	
		1	0.3030	बा.1	
3.	कन्हैयालाल पुत्र राजकुमार, नायक जाति सा0 उदयलाल की ढाणी वा0नं0 03 राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर।	2480 / 3423 / 2 4293 / 2596 / 2	0.1994 0.6546	बा.1 बा.1	
		2	0.8540		
4.	श्योपाल बलाई पुत्र हनुमानाराम बलाई जाति बलाई सा0 गोरिया, खातेदार	2480 / 3423 / 3 4293 / 2596 / 3	0.1700 1.0357	बा.1 बा.1	
		2	1.2057		
5.	महेन्द्र सिंह पुत्र सन्त सिंह जाति मजहबी सा. 55 बी0सी0डी0आर0 सुरेवाला तहसील टिब्बी (हनुमानगढ़) खातेदार	2480 / 3423 / 4 2491 / 2590 4293 / 2596 / 4	0.1000 0.2800 0.8317	बा.1	
		3	1.2117		

तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 12.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner